न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं० ५/
विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम), फिरोजाबाद
उपस्थित : प्रमोद कुमार शर्मा -------- उच्चतर न्यायिक सेवा :
विशेष दाण्डिक प्रकरण संख्या ४३१/२०१२

राज्य --------------अभियोजन पक्ष

बनाम

इमरान पुत्र मुश्ताक निवासी हनुमानगढ (नाई की दुकान) थाना उत्तर, जनपद फिरोजाबाद -------अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा १३५ विद्युत अधिनियम
थाना उत्तर, फिरोजाबाद
मु०अ०सं० ७०८/२०१२

निर्णय

विवेचक द्वारा मुकदमा अपराध सं० ७०८/२०१२ में उक्त अभियुक्त इमरान के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा १३५ विद्युत अधिनियम का एक आरोप पत्र प्रेषित किये जाने पर दिनांक १३-१२-२०१२ को इसी न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जाकर यह दाण्डिक प्रकरण पंजीकृत कराया गया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक निम्नवत है -

1- वादी सुमित गर्ग अवर अभियंता प्रवर्तन दल फिरोजाबाद द्वारा प्रस्तुत तहरीर के आधार पर थाना उत्तर पर दिनांक २३-८-२०१२ को समय २०.३० बजे इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी कि दिनांक २३-८-२०१२ को वादी मुकदमा सुमित गर्ग अवर अभियन्ता प्रवर्तन दल फिरोजाबाद मय उपनिरीक्षक गणेश बाजपेयी व आरक्षीगण अशोक दीक्षित, सत्य पाल सिंह, राजेन्द्र कुमार मय सम्बद्ध गाड़ी नं० यू० पी० ८३ के ४२४८ मय चालक नेत्र पाल के वास्ते विद्युत चैकिंग समय करीब १५.४० बजे मौहल्ला हनुमानगढ़ रसना टाकीज के पास विद्युत चैकिंग की गयी तो राजेश कुमार पुत्र श्री फौरन सिंह निवासी हनुमानगढ़ फिरोजाबाद, पूरन सिंह पुत्र अज्ञात दुकान हनुमानगढ़ फिरोजाबाद, जफर पुत्र अज्ञात दुकान हनुमानगढ़ फिरोजाबाद, रूप सिंह पुत्र ठाकुर दास दुकान हनुमानगढ़ फिरोजाबाद, इमरान पुत्र श्री मुश्ताक दुकान हनुमानगढ़ फिरोजाबाद एवं जगदीश पुत्र अज्ञात घरेलू निवासी हनुमानगढ़ फिरोजाबाद क्रमशः ८३० वाट, ३०० वाट, १६० वाट, २६० वाट, १९० वाट एवं ६५० वाट की विद्युत का पास में लगे ट्रान्सफार्मर की एल० टी० से केबिल जोड़कर अवैध प्रयोग करते हुए पाये गये। यह प्राथमिकी मुकदमा अपराध सं० ७०४/२०१२ लगायत ७०९/२०१२ बनाम राजेश कुमार आदि अपराध अन्तर्गत धारा १३५ विद्युत अधिनियम लेखबद्ध की गयी।

इस प्राथमिकी व अन्य अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार इस अभियुक्त इमरान द्वारा २६० वाट की विद्युत का चोरी से उपभोग किया जा रहा था।

२– विवेचक द्वारा कथन साक्षीगण व अभियुक्तगण अन्तर्गत धारा १६१ दं०प्र०सं० लेखबद्ध किये गये तथा घटनास्थल का निरीक्षण करके मानचित्र तैयार किया गया तथा विवेचना पूर्ण करके अभियुक्त इमरान के विरूद्ध उपरोक्तानुसार आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

अभियुक्त इमरान के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा १३५ विद्युत अधिनियम का आरोप विरचित करके उसे पढ़कर सुनाया व समझाया गया तो उसने इसे अस्वीकार करके विचारण चाहा।

पी०डब्लू०–1 कां० नं० ८९० सुन्दर लाल का साक्ष्य लेखबद्ध किया गया, जिसमें उसने कहा कि मुकदमा अपराध सं० ७०४/२०१२ लगायत ७०९/२०१२ राज्य बनाम राजेश कुमार आदि अपराध अन्तर्गत धारा १३५ विद्युत अधिनियम का मुकदमा थाना उत्तर पर दिनांक २३–८–२०१२ को २०.३० बजे पंजीकृत हुआ था, जिसमें से मुकदमा अपराध सं० ७०८/२०१४ इस अभियुक्त इमरान के विरूद्ध है, जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक बलवीर सिंह द्वारा की गयी। साक्षी ने उक्त बलवीर सिंह को लिखते पढ़ते देखा है। साक्षी उसका लेख व हस्ताक्षर पहचानता है। मुकदमा अपराध सं० ७०८/२०१२ बनाम इमरान का नक्शानजरी व आरोपपत्र विरूद्ध अभियुक्त इमरान उक्त बलवीर सिंह के लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी साक्षी शनाख्त करता है। नक्शा नजरी व आरोपपत्र पत्रावली पर मौजूद हैं तथा साक्षी के सामने है। इन पर क्रमश: प्रदर्श क–१ व प्रदर्श क–२ डाला गया।

तत्पश्चात अभियुक्त इमरान द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया कि वह संस्वीकृति करना चाहता है, अत: उसका कथन लिखा गया, जिसमें उसने अभियोजन द्वारा दर्शित दिनांक समय व स्थान पर स्वयं द्वारा चोरी से १९० वाट की विद्युत का उपभोग करना स्वीकार किया।

पी०डब्लू०–1 कां० सुन्दर लाल के सकारात्मक साक्ष्य एवं अभियुक्त इमरान द्वारा की गयी संस्वीकृति को दृष्टिगत रखते हुए यह अभियुक्त अपराध अन्तर्गत धारा १३५ विद्युत अधिनियम के आरोप पर दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

तदनुसार अभियुक्त इमरान को अपराध अन्तर्गत धारा १३५ विद्युत अधिनियम के आरोप पर दोषसिद्ध किया जाता है।

यह अभियुक्त इमरान इस प्रकरण में जमानत पर है तथा इस समय न्यायालय में उपस्थित है। इस अभियुक्त इमरान के प्रतिभूगण उन्मोचित एवं बन्धपत्र रदद करते

हुए इसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।

दिनांक १६–३–२०१५

(प्रमोद कुमार शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं० ५,
विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम),
फिरोजाबाद

दण्ड के प्रश्न पर सुना। अभियुक्त इमरान की ओर से कहा गया कि यह इस अभियुक्त का पहला अपराध व पहली सजा है। यह अभियुक्त गरीब मजदूर है। यह अभियुक्त अविवाहित है। इसके बृद्ध माता पिता है। इस अभियुक्त व इसके माता पिता को कमा कर खिलाने वाला सिर्फ यही अभियुक्त है। इसका खुद का कोई मकान, दुकान जमीन जायदाद नहीं है। यह किराये के मकान में रहता है। मजदूरी को छोड़कर अन्य कोई आमदनी का जरिया नहीं है। इसे क्षमा किया जाये, जबकि अभियोजन की ओर से अपराध की गम्भीरता का तर्क देते हुए इस अभियुक्त को अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गयी।

मामले के सम्पूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों व अभियुक्त के प्रथम अपराधी व दोषसिद्धी व उसकी दायित्वपूर्ण पारिवारिक स्थिति आदि को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त रूप सिंह को उसके द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा १३५ विद्युत अधिनियम कारित किये जाने पर इस प्रकरण में **इसके द्वारा अब तक न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि के बराबर अवधि के साधारण कारावास एवं १५००/– (एक हजार पांच सौ) रूपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अभियुक्त इमरान को अपराध अन्तर्गत धारा १३५ विद्युत अधिनियम के आरोप पर दोषसिद्ध किया गया। उसके द्वारा यह अपराध कारित किये जाने पर इसे **इसके द्वारा अब तक न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि के बराबर अवधि के साधारण कारावास एवं १५००/– (एक हजार पांच सौ) रूपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त **१० (दस) दिन** का साधारण कारावास भुगतेगा। इस अभियुक्त को इसके प्रतिभूगण उन्मोचित व बन्धपत्र रदद करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लिया जा चुका है। यदि इस अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड की अर्थदण्ड की उपरोक्त धनराशि आज ही जमा कर दी

जाती है तो इसे न्यायालय उठने तक की समयावधि व्यतीत होते ही अभिरक्षा से मुक्त कर दिया जाये, क्योंकि उस दशा में इस अभियुक्त द्वारा भुगते जाने हेतु कोई दण्ड शेष नहीं बचेगा, लेकिन यदि इस अभियुक्त द्वारा आज अविलम्ब अर्थदण्ड की धनराशि अदा नहीं की जाती है तो इसका सजायाबी वारण्ट तैयार करके जिला कारागार फिरोजाबाद भेज दिया जाये।

दिनांक १६–३–२०१५ **(प्रमोद कुमार शर्मा)**

अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं० ५,
विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम),
फिरोजाबाद

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक १६–३–२०१५ **(प्रमोद कुमार शर्मा)**

अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं० ५,
विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम),
फिरोजाबाद